03/02/2008- एलएनजेएन एनआईसीएफए

भारत सरकार

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान

(गृह मंत्रालय)

बाहरी रिंग रोड़, सैक्टर - 3,
रोहिणी, दिल्ली- 110085.

दिनांकः

कार्यालय ज्ञापन

विषय; **प्रतिनियुक्ति के आधार पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय), दिल्ली में आशुलिपिक श्रेणी ‘ग’ का पद भरने के संबंध में**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, अनुलग्नक -I में उल्लिखित विवरणानुसार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय), दिल्ली-85 में आशुलिपिक श्रेणी ‘ग’ के पद को भरने के लिए उपयुक्त कार्मिक की सेवाओं की आवश्यकता है । चयनित व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त पर रहेगा, जिसे प्रशासनिक सुविधानुसार, जन हित में बढ़ाया या घटाया जा सकता है । चयनित व्यक्ति का वेतन कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) मंत्रालय के दिनाँक 05 जनवरी 1994 के का0 ज्ञा0 संख्या 2/29/91-स्थापना (वेतन II) के अनुसार विनियमित किया जाएगा । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

2. उपर्युक्त पद हेतु स्वैच्छिक व्यक्ति को चयन होने के बाद नाम वापस लेने की अनुमति नहीं होगी । वांछित बायो-डाटा और गोपनीय रिपोर्ट डोज़िअर के बिना संस्तुत उम्मीदवारों के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा ।

3. पात्रता रखने वाले इच्छुक और उपयुक्त व्यक्तियों के आवेदन पत्र, जिन्हें चयन किए जाने पर तुरंत कार्य मुक्त किया जा सके, **"रोज़गार समाचार"** में इस परिपत्र के प्रकाशन की तारीख से **60 दिनों के भीतर, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय), रोहिणी, सेक्टर - 3, आउटर रिंग रोड, दिल्ली -85** को, अनुलग्नक II में, दो प्रतियों में, पाँच वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट की साक्ष्यांकित फोटोप्रतियों के साथ अग्रेषित कर दिए जाएं ।

(ए.के. डे.)
सहा0 निदेशक (फोटोग्राफी)
कृते निदेशक, लो.ना.ज.ना रा.अ.वि.वि.सं.

संख्या : 03/02/2008 लो.ना.ज.ना रा.अ.वि.वि.सं. दिनाँक ;

प्रतिलिपि निम्न को प्रषित हैः-

1. भारत सरकार के तहत सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकार एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव
3. सभी केन्द्रीय पुलिस संगठन
4. सभी विश्व विद्यालयों के रजिस्ट्रार
5. सभी केन्द्रीय एवं राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निदेशक
6. सभी मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान
7. सभी सार्वजनिक उपक्रम 8. सभी अर्धसरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन
9. सुश्री सुभाश्री महापात्र, अभियान अधिकारी, डीएवीपी, 10वॉ तल, कमरा स0 1038, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड, दिल्ली - 03 - (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित) - **रोज़गार समाचार** में यथाशीघ्र प्रकाशनार्थ । अनुरोध है कि प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम संख्या में उम्मीदवार आकर्षित करने के लिए "रोज़गार समाचार" में स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जाए । कृपया रोजगार समाचार के जिस अंक में उक्त परिपत्र को प्रकाशित किया जाए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को रिकार्ड हेतु प्रेषित कर दें ।

अनुलग्नक : यथोपरि

(ए.के. डे.)
सहा0 निदेशक (फोटोग्राफी)
कृते निदेशक, लो.ना.ज.ना.वि.वि.सं.

1.	पद का नाम	:	आशुलिपिक श्रेणी "ग"
2.	पदों की संख्या	:	एक
3.	वेतनमान	:	रू0 5000-150-8000 (पूर्वसंशोधित)
4.	पात्रता	:	केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी --

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

(ii) जिन्होंने 4000-6000 रूपए (पूर्व संशोधित) के वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है;

(ख) निम्नलिखित अर्हता रखते हों :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा पास या समतुल्य अर्हता हो ।

(ii) अंग्रेजी या हिंदी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति हो ।

5.	प्रतिनियुक्ति की अवधि	:	सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं ।

अनुलग्नक ।।

बायो-डेटा प्रारूप

1. नाम
2. पदनाम
3. जन्म तिथि (ईसवीं में)
4. शैक्षिक अर्हता
5. वर्तमान ग्रेड में लगातार नियुक्त की तारीख
6. वर्तमान मूल वेतन तथा वेतनमान
7. पिछले बाह्य संवर्ग पद से वापसी की तारीख, यदि कोई हो तो,
8. अनुभव
9. संक्षेप में रोजगार संबंधी विवरण । (पदनाम तथा प्रत्येक ग्रेड में अवधि सहित वेतनमान)
10. क्या आप अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं ?
11. संबंधित अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो,

तारीख ;

उम्मीदवार के हस्ताक्षर, दूरभाष
नंबर तथा निवास स्थान का पता

<u>आवेदक के कार्यालय प्रधान/नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र</u>

1. प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा दिया गया ब्यौरा सही है ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अनुशासन/सतर्कता संबंधी मामला लंबित अथवा विचारणीय नहीं है । सतर्कता की दृष्टि से वह बेबाक है ।
3. उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है ।
4. प्रमाणित किया जाता है कि पिछले 10 वर्षों में आवेदक को कोई छोटा या बड़ा दंड नहीं दिया गया है ।

(कार्यालय प्रधान/नियोक्ता के हस्ताक्षर)